# फर्द अहकाम

**अरूण बनाम रामदेव वगै0**

संख्या: 88 /2024

| दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
| --- | --- | --- |
| .05.2024 | वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस एवं जवाब हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।<br>**उपखण्ड अधिकारी**<br>**जयपुर द्वितीय (सांगानेर)** | नोटिस जारी<br>2224-32<br>8/5/24 |
| 22/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 लगा 7 की ओर से श्री मनोज चौधरी एड0 ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। आ.कि. हो। प्रार्थी ने रजिस्ट्री रसीदें पेश की। आ.कि. हो। शेष अप्रार्थी संख्या 1, 8 व 9 की तामील हेतु पत्रावली दि0 29/5/24 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |
| 29/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी 2 लगा 7 उपस्थित। प्रति./अप्रार्थी सं. 1 बावजूद रजि0 डाक सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 8 व 9 बावजूद रजि0 डाक सूचना अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों के वकीलों की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 88 / 2024
निर्णय दिनांक : 29.05.2024

1. अरुण पुत्र विजयचन्द, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम खटवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामेदव पुत्र लादूराम, जाति माली, निवासी ग्राम सुखालपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. उषा पारीक पुत्री गंगासहाय, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम खटवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. निशा पारीक पुत्री गंगासहाय, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम खटवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. रंजना पारीक पुत्री गंगासहाय, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम खटवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राकेश कुमार पारीक पुत्र गंगासहाय, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम खटवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. राजेन्द्र पारीक पुत्र गंगासहाय, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम खटवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. लक्ष्मी देवी पुरोहित पत्नी गंगासहाय, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम खटवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, कार्यालय रामकिशोर व्यास भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
9. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

### प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खटवाडा, पटवार हल्का महापुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 1290/549 रकबा 0.3600 हैक्टेयर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2074–2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक सीमाज्ञान / 2024 / 604 दिनांक 25. 04.2024 के द्वारा सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

29.04.2024 को करवाया गया जिसके अनुसार प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1290/549 के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 551 स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 है, पश्चिम व उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 550, 1281/540, 1282/541 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 है, एवं पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 549 स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 9 है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करते रहते है और जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है जिस कारण प्रार्थी अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है और उक्त भूमि पर तारबन्दी करना चाहता है जिससे भविष्य में कोई पडौसी खातेदार काश्तकार किसी भी प्रकार का वाद-विवाद नही करे इसलिए प्रार्थी को उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हो गई है। अतः प्रार्थना है प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 1290/549 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.3600 हैक्टेयर ग्राम खटवाडा, पटवार हल्का महापुरा, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.04.2024 के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज चौधरी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल मिसल हैं। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 ने अपने जवाब में प्रार्थी के पक्ष में सहमति दी। दिनांक 29.05.2024 को पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद रजिस्टर डाक सूचना अनुपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 बावजूद रजिस्टर डाक सूचना अनुपस्थित।

पत्रावली में उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि हाल खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 1290/549 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.3600 हैक्टेयर ग्राम खटवाडा, पटवार हल्का महापुरा, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.04.2024 के अनुसार जरिये

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

बहस उपस्थित अधिवक्तागण व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की ग्राम [illegible]ड़ा, पटवार हल्का महापुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 290/549 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.3600 हैक्टेयर नियमानुसार सूचित कर समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 29.04.2024 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह [illegible]रें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सॉंगानेर),
जयपुर